2A/2

पत्रावली सं0 10/2021 सरकार बनाम इकबाल सिंह

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
08/02/2021	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री इकबाल सिंह सतपाल सिंह पि0 पुत्र श्री परमेश सिंह जाति जट सिख निवासी 9 LPM-B में फसल रबी/खरीफ सम्वत/सन् 2077 में गांव/चक नं0 9 LPM-B के मु0 नं0 11 में 1.329 है0 बीघा सिंचित व — असिंचित कुल 1.329 है0 बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है। अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा गुणा पेनल्टी राशि रू0 499 अखरे रू0 चार सौ चानवे रुपये मात्र अधिरोपित की जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुदा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी0 आर0 ए0 को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावें। उप तहसीलदार तहसीलदार (राजस्व) जिला श्रीगंगानगर रायसिंहनगर 2020-2021/क घ राजस्व 220 4926 2	